न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद पत्र संख्या : 87/2021

CCMS No. : 2021/144

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादी :–

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. पेमाराम पुत्र नेनाराम
कौम– सीरवी निवासी झूठा, तहसील–रायपुर जिला–पाली राज0।
2. बंशीलाल पुत्र शिवराम
जाति– कुमावत, निवासी– समौखी हाल निवासी– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज0)

राजस्व वाद पत्र बाबत् **बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

तारीख रजू :– 23.06.2021

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 30/08/2022

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल **खसरा नम्बर 846/11 रकबा 02–00 बीघा किस्म गैर मुमकिन चारम मौजा निमाज** में स्थित है। उक्त आराजी का वादी भूमिधारी(लैण्ड होल्डर) है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 ने जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना वैधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर **आवासीय कॉलोनी काटकर** खुर्द बुर्द कर रहें है। जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है। प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म में परिवर्तन की है। जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करनें व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिये बिनाय मुखासमत दिनांक 08.06.2021 को पैदा हुआ जब भू अभिलेख निरिक्षक ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र से अवैध रूप से **अकृषि (आवासीय कॉलोनी काटकर)** कार्य करनें की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। इस वादपत्र को सुनने का हक अदालत को धारा 177, 92क, आर.टी.एक्ट 1955 के तहत है। अतः वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है:– (क) वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करें। [illegible] सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आर.टी.एक्ट. के तहत दिलाई जावें।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो कि सामिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

सल है। प्रतिवादी संख्या 02 ने जवाबदावा पेश करते हुये कथन किया है कि वादपत्र के
द संख्या एक में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि अवश्य आई हुई है। जिसमें जवाब देहन्दा
ातेदार काश्तकार है, जो सही व सत्य है। वादपत्र के पद संख्या दो का जवाब है कि
ादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में जवाब देहन्दागण किसी प्रकार से पक्का
निर्माण नहीं कर रहे है तथा अकृषि कार्य के रूप में इसका उपयोग उपभोग नहीं करके
ाश्त के रूप में ही कार्य कर रहे है तथा वर्तमान में जवाब देहन्दागण की कृषि भूमि
वाली पड़ी है तथा जवाब देहन्दा ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की
र्तो का उल्लघंन नहीं किया है तथा भूमि का किसी प्रकार से किस्म परिवर्तन नहीं किया
। इस कारण से भी उक्त वादपत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। वादपत्र के
द संख्या तीन का जवाब है कि जवाब देहन्दागण ने टीनेन्सी एक्त की शर्तो का किसी
ाकार से कोई उल्लंघन नहीं किया है कि न ही कृषि से गैरकृषि के रूप में उपरोक्त भूमि
ा उपयोग उपभोग किया जा रहा है। इसलिये भी जवाब देहन्दागण को बेदखल किया जाना
तई न्यायौचित नहीं है तथा न ही स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना न्यायौचित है।
ादपत्र के पद संख्या चार बिनाय वाद बाबत् है वादी का जवाब देहन्दागण के विरुद्ध किसी
कार का कोई बिनाय वाद पैदा नहीं होता है केवल वादपत्र प्रस्तुत करनें की गरज से झूठी
बिनाय वाद की तारीख अंकित की है। बिनाय वाद के अभाव में भी वादी का वादपत्र
ोषणीय नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमावें। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

भू अभिलेख निरिक्षक निमाज द्वारा फर्द मौका मय नजरी नक्शा रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो सामिल मिसल कि गई। भू अभिलेख निरीक्षक निमाज ने फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2022 में कथन किया है कि माफिक राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा म्बर 846/11 रकबा 0.3237 हैक्टर किस्म चाही चारम में खातेदार पेमाराम पुत्र नैनाराम ाति सीरवी निवासी झूंठा हिस्सा 1/12 तथा बंशीलाल पुत्र शिवराम जाति कुमावत सा. समौखी हिस्सा 11/12 जाति कुमावत सा. समौखी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पूर्व में खातेदार पड़ौसी खातेदारो के साथ मिलकर ''केशरिया नगर'' आवासीय कॉलोनी तैयार कर प्लॉटिंग रनी शुरू की थी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर सड़क से पश्चिम की तरफ दीवार पर केशरिया नगर'' लिखा गया था। मौके पर जांच करने पर पाया गया कि वर्तमान में सरा संख्या 846/11 में 00-04 बीस्वा भूमि में चार दीवारी निकाल कर लोहे का गेट गा हुआ पाया। सड़क के पश्चिम दिशा में दीवार बनी हुई है। शेष भूमि मौके पर खाली ड़ी है। नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी में वर्तमान में प्लॉटिंग नहीं हो रखी है। मौके र उक्त भूमि 30×107 फीट में चार दीवारी निकाली गई है तथा शेष खाली पड़ी है। उक्त भूमि में प्लॉटिंग कर आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रखी है।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही, भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार हैः-

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा हस्तगत दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत है कि प्रतिवादीगण जो वादग्रस्त आराजी मौजा निमाज प्रथम की खसरा नम्बर 846/11 कुल रकबा 2-00 बीघा किस्म चाही चारम जो कि कृषि भूमि है, के अभिलिखित खातेदार है द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना विधिक प्रक्रिया आवासीय कॉलोनी काटकर खुर्द बुर्द कर रहे हैं तथा टिनेन्सी शर्तो को भंग कर हानिप्रद कार्य कर रहें। अतः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:30:28 IST
Reason: SelfAttested

पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ावें तथा इन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें, की वे वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द ही करें।

. प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय ार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार प्रतिवादीगण ो कि वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। जवाबदेहन्दा किसी प्रकार से पक्का र्माण नही कर रहे है तथा अकृषि कार्य के रूप में इसका उपयोग उपभोग नही करके ाश्त के रूप में ही कार्य कर रहे है तथा वर्तमान में जवाब देहन्दा की कृषि भूमि खाली ड़ी है। तथा जवाब देहन्दा ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानो व टीनेन्सी की शर्तो ी उल्लघंन नही किया है तथा भूमि का किसी प्रकार से किस्म परिवर्तन नही किया है। इसलिए वादी का वादपत्र किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नही होने से मय खर्चा हर्जा खारिज रमावे।

. वादपत्र के साथ प्रस्तुत पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक निमाज प्रथम की मौका फर्द ्पोर्ट दिनांक 08.06.2021 के अनुसार खातेदार पेमाराम पुत्र नैनाराम कौम सीरवी निवासी ूंठा तहसील रायपुर खातेदार दर्ज है। खातेदार ने अन्य पड़ौसी खातेदारो के साथ मिलकर केशरिया नगर'' आवासीय कॉलोनी तैयार करने का कार्य किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 112 र सड़क से पश्चिम की तरफ दीवार पर ''केशरिया नगर'' लिखकर कृषि भूमि का अकृषि पयोग आंरभ कर दिया है। प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज से अद्यतन मौका ्पोर्ट ली गई। भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07. 022 के अनुसार खसरा संख्या 846/11 रकबा 0.3237 हैक्टर किस्म चाही चारम में ातेदार पेमाराम पुत्र नैनाराम जाति सीरवी निवासी झूंठा हिस्सा 1/12 तथा बंशीलाल पुत्र ेवराम जाति कुमावत सा. समौखी हिस्सा 11/12 जाति कुमावत सा. समौखी खातेदार दर्ज । वर्तमान में खसरा संख्या 846/11 में 00-04 बीस्वा भूमि में चार दीवारी निकाल कर ोहे का गेट लगा हुआ पाया। सड़क के पश्चिम दिशा में दीवार बनी हुई है। शेष भूमि ौके पर खाली पड़ी है। नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी में वर्तमान में प्लॉटिंग नहीं ी रखी है। मौके पर उक्त भूमि 30×107 फीट में चार दीवारी निकाली गई है तथा शेष ली पड़ी है। उक्त भूमि में प्लॉटिंग कर आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रखी है।

. वादग्रस्त आराजी की भू अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी निमाज प्रथम द्वारा दिनांक 08. 7.2022 को वादग्रस्त आराजी की मौके पर तैयार मौका रिपोर्ट जिसे पर प्रतिवादीगण ्रातेदारान् के भी हस्ताक्षर है एवं मौके के फोटोग्राफस के अनुसार वादग्रस्त आराजी में र्तमान में खाली पड़ी है। खसरा संख्या 846/11 रकबा 0.3237 हैक्टर में प्लॉटिंग के ीलर(पत्थर) इत्यादि नहीं लगा रखे है। मौके के फोटोग्राफस के अनुसार भी वादग्रस्त ाराजी मौके पर खाली दिखाई दे रही है तथा चारो तरफ दीवार दृष्टिगोचर हैं।

. वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2077 के अनुसार प्रतिवादीगण पेमाराम पुत्र ैनाराम जाति सीरवी निवासी झूंठा हिस्सा 1/12 तथा बंशीलाल पुत्र शिवराम जाति कुमावत ा. समौखी हिस्सा 11/12 जाति कुमावत सा. सम ग्रस्त आराजी के अभिलिखित ्रातेदार है।

. ***धारा 177 अहितकर कार्य या शर्त-भंग के लिए बेदखली*** -(1) भू धारक के आवेदन पर अभिधारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा :-

(क) ऐसे किसी कार्य या लोप के आधार पर जो उस जोत में की भूमि के लिए अहितकर ो या जिस प्रायोजन के लिए भूमि पट्टे पर दी गई थी, उससे अंतर्गत हो, या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ब) इस आधार पर कि उसनें या उससे धारण करनें वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है। जिसके भंग करनें पर वह विशेष संविदा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं हैं, के अनुसार बेदखली का दायी होः

परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वृक्षारोपण करना या सुधार करना इस धारा के अधीन बेदखली का आधार नहीं होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत केवल खातेदार द्वारा किये गये ऐसे कार्य जो उसकी कृषि भूमि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हो या ऐसा कार्य जो भूमि प्रयोजन के विपरीत हो, कि दशा मे ही बेदखली की जा सकती है।

7. वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी के चारो ओर पक्की चारदीवारी का निर्माण करवाया गया, लेकिन चारदीवारी या मेडबन्दी को किसी भी दृष्टि से अकृषि कार्य नहीं माना जा सकता है। तथा पूर्व में दीवार पर ''केशरिया नगर'' आवासीय कॉलोनी लिखा गया था लेकिन वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तन हेतू किसी प्रकार का अकृषि कार्य दृष्टिगोचर नही होता है। एवं वादपत्र के साथ प्रस्तुत भू अभिलेख से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जिसका कुल रकबा 0.3237 हैक्टर जिसमें 02 सहखातेदार दर्ज है इससे स्पष्ट है कि भूमि का रकबा भी अप्रत्याशित रूप से कम होकर वर्ग फीट या वर्गगज के रूप दर्ज नहीं हुआ है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त आराजी का प्लॉटिंग आदि कर अकृषि कार्य के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यह भी संभव है कि खातेदारान् द्वारा प्रकरण दर्ज होने के पश्चात वादग्रस्त आराजी को मौके पर मूल स्वरूप में बहाल कर दिया गया। जैसा कि अद्यतन मौका रिपोर्ट एवं मौके के फोटोग्राफ से स्पष्ट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 178(2) काश्तकार को विकल्प/अवसर प्रदान करने का प्रावधान करती है। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या फोटोग्राफस प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह विश्वास करनें का पर्याप्त कारण हो कि खातेदारान् मौके पर किसी रूप में अकृषि प्रयोजन सिद्ध किया जा रहा है। अतः हस्तगत वादपत्र बखूबी साबित नहीं होने तथा खातेदारान् द्वारा काश्तकारी शर्तो का उल्लंघन किया जाना साबित नहीं होने के कारण खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

—:: आदेश ::—

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा—177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली—भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पृथक से डिक्री पर्चा जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी क़दर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/08/2022 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

राज अदालतः–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
सरईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीया :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–पाली	1. पेमाराम पुत्र नेनाराम कौम– सीरवी निवासी झूठा, तहसील–रायपुर जिला–पाली राज0। 2. बंशीलाल पुत्र शिवराम जाति– कुमावत, निवासी– समौखी हाल निवासी– निमाज, तहसील–जैतारण, जिला– पाली(राज0)

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0ःरा0वा0स0ः 87/2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी सरकारी पैरोकार, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज़ .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/08/2022 को सर–ए–इजलास जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	02–00	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	01–00	
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान	/	
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	–Nil–		मिजानः–	03–00	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह ... को जाके डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:28 IST
Reason: SelfAttested